भारतीय सर्वेक्षरण विभाग SURVEY OF INDIA

केवल मूल प्रति में मांग कीजिए INDENT IN ORIGINAL ONLY

मांग-पत्र सं । INDENT No. तारीख DATED

" प्रतिबंधित " मानिविद्यों के लिए माँग पत्र INDENT FOR " RESTRICTED " MAPS

नोट :—" प्रतिबंधित " मानचित्र सामान्यतया केवल सरकारी अधिकारियों या स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं के अधिकारियों को सरकारी काम के लिए आवश्यकता पड़ने पर दिये जावेंगे । मांगपत्र अठवें पृष्ठ पर पैरा 9 में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। सैनिक संगठनों की मांग के लिए क्रपबा अठवें पृष्ठ के पैरा 10 में लिखी हिदायतों को देखिए।

NOTE:—"Restricted" maps will, normally, be issued only to Govt. officials and those of local administrative bodies when required by them for official work, indents should be sent to one of the officers mentioned in para 9 on page 6. For indents from military formations, please see instructions contained in para 10 on page 6.

कमांक Serial No.	मानिजर्शे का विवर्धा शीढ सं० श्रादि जैसा पूरा विवरण दिया जाना चाहिए DESCRIPTION OF MAPS Full details such as sheet numbers, etc., should be given	मानचित्रों का पैमाना Scale of maps	मांगी गई प्रतियों की संख्या Number of copies required	मानचित्र किस पते पर भेजे जाने हैं ? ADDRESS to which the maps are to be despatched
				प्रेषस्य का तरीका MODE OF DESPATCH: *डाक/बी॰ घी॰ पी॰/यात्री/माल गाड़ी द्वारा श्रें बचे । *DESPATCH BY POST/V.P.P. RAIL PASSENGER/GOODS *अग्रतान का तरीका *MODE OF PAYMENT: खाते नामे डाल कर समाशेजित Adjust by Book Debit Cach payment Book Debit
	हिप्पर्या : कमानुसार आवश्यक अतिरिक्त मानचित्रों की स् N.B. Attach list of extra maps required in serial or	ा ची संलग्न कीरि rder.	नेप्र!	नाम Name पद Designation
	† "प्रतिबंधित" माननित्रों के मांग-पत्रों पर प्रतिहस्ताचर करने के लिए श्रविकृत श्रिषकारियों की सूची नीचे अनुरुद्धेद ! में दी गई है। चौथे और पाँचके पृष्ठ के श्रनुसार उचित रूप से प्रमास-पत्र अर कर मांग श्रिकारी द्वारा उस पर हस्ताचर किये जाने चाहिए!) † Allst'of officials authorised to countersign indents for "Restricted" maps is given in para! below. The certificates on pages 14 and 5 should also be duly completed and signed by the indenting	(कार्यालय की स्थान Place	मुहर) (Stamp of	office) तारीख Date

अरकारी काम के लिए अपने नियंत्रया के अधीन कार्यालयों और अधीन अधिकारियों के लिए आवश्यक "प्रतिबंधित" मानचित्रों के मांग-पत्रों पर प्रतिबंधताचर करने

के लिए प्राधिकृत सिविल सरकारी अविकारियों की सूची ।
LIST OF CIVIL GOVERNMENT OFFICERS AUTHORISED TO COUNTERSIGN INDENT FOR "RESTRICTED" MAPS WHEN REQUIRED BY OFFICES AND OFFICERS
UNDER THEIR CONTROL FOR THE EXECUTION OF THEIR OFFICIAL DUTIES.

(!) आरत सरकार के अवर सचिव के पद के तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी।

(II) आरत सरकार के संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्त और उपाध्यक्त I Heads and Deputy Heads of attached and subordinate Departments of the Government of India.

(III) जारतीय सर्वेत्रस् विभाग के उपनिदेशक तथा इनसे ऊपर के सभी अधिकारी।

- (IV) राज्य सरकारों के उप सचिव के पद के भाषकारी तथा इनसे ऊपर के सभी भाषिकारी, उनसे संबंद भीर अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष शामिल हैं।
 - All officers of the rank of Deputy Secretary to State Governments and above, Including Heads of their attached and subordinate Departments,
- (V) भारत के सिविल प्रभागों और जिलों के प्रभारी कमिश्नर और जमश्नर भीर कलक्टर ।
 Commissioners and Deputy Commissioners and Collectors-in-charge of Civil Divisions and Districts in India.
- (vi) विदेशों में भारत सरकार के सभी राजनियक प्रतिनिध । All diplomatic representatives of the Govt, of India abroad.
- (Vii) कलिकाता, मुंबई ग्रीर मद्रास नगरों के पुलिस के उप कमिश्नर । Deputy Commissionals of Police in the Presidency towns of Calcutta, Bombay and Madras.
- (VIII) राज्य सरकारों के हेडववाटरों के सहायक महानिरीक्षक पुलिस । Assistant Inspector-General of Police at Headquarters of State Governments.
- (ix) खुफ़िया पुलिस विभाग श्रोर या राज्य सरकार के गुप्तथार्ता शाखा के स्प महानिरीक्षक पुलिस । Deputy Inspector-General of Police, Criminal Investigation Department and/or Intelligence Branch of State Governments.
- (x) अरण्यपाल, आसाम, अपने सकिल के प्रतिबन्धित मानचित्रों के लिये। Conservators of forests, Assam, in respect of restricted maps of their Circles.
- (xi) संयुक्त कमिश्नर (भूमि संरक्षण), खाद्य एवं कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (कृषि विभाग)।

 Joint Commissioner (Soil Conservation), Ministry of food and Agricultural Community Development and Co-operation (Depts. of Agriculture).
- (×ii) अरध्यपाल, उड़ीसा, अपन सर्किल के प्रतिबन्धित भागिकत्रों के लिख। Conservators of Forests, Orissa, in respect of restricted maps of sucir Circles.

सूची में श्रीकत वे श्रीवकारी जिन्हें प्रतिबन्धित मानचित्रों के मांग-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने का भार सौपा गया हो जब कि वे उनके बचीनस्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी काम के लिये मिंग गये हो।

List of officers to whom powers liave been delegated to countersign indents for Restricted maps when required by officers under their control for execution of their official duties.

- (क) मुख्य/उप जलराशि-विशेषभ्र भीर भारत सरकार के मुख्य सहायक सिविल जलराशि विशेषण्य भाषकारी, देहरादून । The Chief/Deputy Hydrographer and the Asst. Chief Civil Hydrographic Officer, Govt. of India, Dehra Dun
- (ख) पश्चिमी बंगाल राज्य विश्वत बोर्ड, कलिका**ता के मुख्य प्राभिय-ता** । Chief Electrical Engineer, West Bengal State Electricity Board, Calcutta.
- (ग) निदेशक, भारतीय दूतावास, नेपाल, काठमाडू । Director, Indian Aid Mission, Nepal, Katmandu.
- (प) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निर्देशक/उप निर्देशक। Director/Deputy Director of Central Reservo Police.
- (च) गुजरात राज्य के सभी भ्रषीक्षक अभियन्ता । All Superintending Engineers in Gujarat State.
- (छ) कें बो बिंग कि सभी घंघीसक श्रियन्ता । All Superintending Engineers in C.P.W.D.
- (ज) आसाम राइफल्स के सहायक महानिरीक्षक । Assistant Inspector-General of Assam Riffes.
- (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य अरण्यपाल और सभी भरण्यपाल ' Chief Conservator of Forests and all Conservators of Forests in U.F
- (ट) सचिव, प्रन्तराज्य भूमि सरकारा परिषद, पंजाब एव हिमाचल प्रदेश, शिमला। Secretary, Inter-State Soil Conservation Board, Punjab and Himachal Pradesh, Simba.
- (ठ) संघ लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव से नीचे के ग्रविकारी न ही। Officers not below the rank of Under Secretary to the Union Public Service Commission.
- (**ह**) मुख्य/उप चुनाव प्रायुक्त, सचिव, व श्रवर सचिव, चुनाव प्रायौग । Chief/Deputy Election Commissioner, Secretary and Under Secretaries, Election Commission.
- (ढ) सर्वोध्य न्यायालय के पंजीकार व उप पंजीकार । Registrar and Deputy Registrar of Supreme Court of India.
- (त) राष्ट्रपति के सैनिक सचिव/उप सैनिक सचिव और श्रवर सचिव। Milliary Secretary/Deputy Military Secretary and Under Secretary to the President.
- (ब) प्रवान मंत्री के मुख्य व्यक्तिगत सन्विव भीर (प्रशासकीय, सार्वजनिक, निजी) व्यक्तिगत सन्विव । Principal Private Secretary and Private Secretaries (Adm., Public, Personal) to the Prime Minister.
- (ब) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और सहायक लियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (व्यक्तिशत)।
 Accountant General, Central Revenues and the Assistant Comptroller and Auditor General (Personal).

- (ध) यानिषय उत्पादन प्रखण्ड, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के निदेशक/प्रधीक्षी भूविश्वामी प्रभारी। Director/Superintending Geologist-in-charge of the Map Production Division. Geological Survey of India.
- (ন) ওচ্ব एवं उप शिक्षा सलाहुकार, शिक्षा मंत्रालय। Deputy Educational Advisers and above, Ministry of Education.
- (प) भूगर्भ के निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। Director of Geology, Cil & Natural Gas Commission.
- (फ) प्रवान वैयक्तिक सण्ड, परमाणु शक्ति स्थापना, ट्रोम्बे । Head Personal Division, Atomic Energy Establishment, Tromba;
- (ब) उच्च एव सहायक पुस्तकाष्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलिकाता । Assistant Librarian and above, National Library, Calcutta.
- (अ) महाराष्ट्र राज्य के सभी **मधीक्षक अभिय**न्ता । All Superintending Engin**eers in Maharashtra** State.
- (म) ध्ररण्यपाल, कार्य धायोजना परिमण्डल, शिमला। Conservator of Forests, Working Plan Circle, Simia.
- (य) वरिष्ठ विदेशको, भूमि साधन, योजना भायोग, नई दिल्ली। Senior Specialist, Land Resources, Planning Commission, New Delhi.
- (र) महा निवेशक एवं सचिव, वैज्ञानिक श्रीर औद्योगिक श्रनुसंघान परिषद । Director General and Secretaries, Council of Scientific and Industrial Research.
- (त) सामा सुरक्षा सेना के उप महानिरीक्षक . Deputy Inspector-General of Border Security Force.
- 2. प्रतिबन्धित मानिषयों के निर्गम के लिये राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों को आधभार दिया है कि वे विक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं दूसरे अर्थ-सरकारी संगठनों के वास्तिविक कार्यों (स्पष्ट संकेत दें) जिनको रक्षा मंत्रालय के पत्र संस्था एफ०-7 (7)/64/डी० (जी० एस०-III) तारीस 25-8-1967 के पैरा 3 में उल्लेख हैं। यह शर्त अर्थ-सरकारी संगठनों जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से सम्बन्धित विभागों/राज्य सरकारों का कुछ नियंत्रण है, पूरा करती है। इन दक्षाओं में मांग-पत्र पर भारत सरकार के उप सिवव के पत्र के तथा दनसे अपर के सभी अधिकारी या सिवव राज्य सरकार के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

Powers are delegated to State Governments, concerned Ministries and Departments of the Central Government to authorise the issue of Restricted maps to Educational and Scientific Institutions and to other semi-Government Organisations for bonafide purpose (to be clearly indicated) subject to the conditions laid down in para 3 of the Ministry of Defence letter No. F-7 (7)/64/D(GS-III) dated 25-8-1967. The term other semi-Government Organisations would cover those on which the Ministry/Department concerned of the Central Government/State Government has some control. The indents in such cases will be countersigned by an officer of the rank of Deputy Secretary to the Government of India or above or the Secretary to the State Government.

3. प्रतिबन्धित मानचित्रों के निर्मम के लिये व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों और वार्षिण्य प्रतिष्ठानों से रक्षा मत्रालय का स्पढ़ी एवं प्राना धावक्यक है। इनके मांग पत्रों पर रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने से पूर्व राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद के या इनसे छवर के सभी धिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिएं।

Clearance of the Ministry of Defence is essential for the issue of Restricted maps to private individuals, organisations and commercial forms. Indents for these should be countersigned by an officer of the rank of Joint Secretary or above in the State Government before they are referred to Ministry of Defence for obtaining clearance.

4. व्यक्तियों, वासिज्यिक प्रतिकटानों घादि हारा भारत की बाहरी सीमा के परे के मानिचत्रों के लिये की गई मान राज्य सरकार के हारा विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

Demands from individuals, commercial firms, etc., for Restricted maps covering area beyond external boundaries of India should be referred through the State Government to the Ministry of External Affairs.

5. भारत स्थित विदेशी दूतावासों/वास्मिण्य दूतावासों से "प्रतिबन्धित" मानचित्री की मांग भारत सरकार के विदेश महालय की केडी

Demands from Foreign Embassies/Consulates in India for "Restricted" maps should be referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

6. भारत में आये हुए विदेशी यात्रियों द्वारा "प्रसिवन्थित" मानचित्रों की मांग उनके भारत स्थित दूतावासीं/वाशिक्य दूतावासीं द्वारा की जानी चाहियें और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

Demands from Foreign Expeditions to India for "Restricted" maps should be sponsored by their Embassies/Consulates in India and referred to the Ministry of External Affairs, Government of India.

- नोट :-- (l) ''प्रतिबन्धित'' मानचित्रों की पूर्ति के मांग-पत्र पर चौथे घोर पांचर्वे पृष्ठ पर दिये गये फांमे में एक प्रमारा-पत्र संलग्न होना चाहिये । All demands for supply of ''Restricted'' maps should be accompanied by a certificate in the form given on pages 4 and 5.
 - (11) मानचित्रों की अभिरक्षा झादि श्रीर कोई क्षति ही जाने पर जांच पड़ताल के लिये रक्षा संशालय के पत्र सस्था पी० सी०7 (7) 64/क्षी० (जी० एस० III) दिनांक 11-9-65 की प्रक्रिया में लाना चाहिये।

The procedure for the safe custody, etc., and for investigation of any loss of maps given in Ministry of Defence letter No. PC. 7(1)/64 D. (GS-III) dated 11.9.65 invariably be followed.

(iii) "प्रतिबन्धित" मानिवर्श की श्रनिरक्षा का वाषिक प्रमाश-पत्र माग कर्ता द्वारा 31 दिसम्बर को, क्षपे हुये फॉर्स पर, प्रस्तुत की जानी चाहिये।

The annual certificate of safe custody of "Restricted" maps should be furnished on 31st December by the Indentor on the prescribed form.

नोट: - यह प्रमाण-पत्र मांग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर सहित पूर्ण होना चाहिये ताकि इन मानविशों की जिस्मेदारी उन पर रहे।

NOTE:-This certificate should be duly completed in all respects and signed by the indenting officer over his office stamp, as the responsibility for these maps lies under him.

प्रमारा-पत्र 'झ' CERTIFICATE 'A'

मुक्ते, अर्थात् मानचित्र निम्नलिखित शती के भा	वीन
के द्वारा बेचे गये हैं भीर मैं इन शतों का पालन करने का वचन देता हूँ।	
I,of the undermentioned "Restrict	ed"
naps/sheets is subject to following conditions which I hereby undertake to observe.	
(i) मानचित्र मित गोपनीय समभे जायेंगे। मैं इस बात की भी सावधानी रखूंगा कि वे खो न जायें भौर न ही अनाधिकृत व्य	क्ति
उन्हें देख सर्वे । The sheets will be treated as very confidential and I will take every reasonable precaution to prevent their being lost or be seen by or afforded access to in any manner to unauthorised persons.	ing
(ii) मैं समऋता हूं कि जो ''प्रतिबन्धित'' मानचित्र मुक्षे इस विश्वास के साथ सरकारी व्यक्ति के प्रधीनस्थ कायालय ढारा	सोंपे
गये हैं और मानचित्रों की उचित्र सुरक्षा की सावधानी न रखने पर मैं दोषी हूंगा। जो कि इस नियम के धर्षीन 5	(1)
(डी.) के सरकारी गोपनीयता श्रिधिनियम 1923 में श्रंकित हैं मैंने जो उपबन्ध सरकारी गोपनीयता श्रिषिनियम 192	3 के
इतगैत हैं पढ़ लिया है और समक्ष गया हूं और इस नियम के अंतर्गत इन मानचित्रों की प्रभिरक्षा, प्रयोग और इ	नकी
सचना संचार व्यवस्था के प्रति जो गोपनीयता मुक्ते सींपी गई है उसे में पूरी तरह समकता हूं। मैंने यह भी समक्र लिय	ह ग
कि अपराधी होने पर मैं अपने आपको न केवल स्वेच्छा से वरन् साधारण असावधानी होने पर भी मैं अपने आ	नको
न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।	
I understand that the Restricted maps/sheets have been entrusted in confidence to me by a person holding office under Government and in the event of my failure to take reasonable care of, or so conducting myself as to endanger the salety of the map. Is be guilty of an offence under Section 5 (1)(d) of the Official Secret Act, 1923. I have carefully read and underst the other provisions of the Official Secret Act, 1923 and fully understand the ducy imposed upon me by Act, in respect of the custody, use and communication of the information contained in the said map entrusing in confidence to me. I have also understood that I would expose myself to criminal liability not only in the case of intentional or wilful act but also on arising out of my recklessness or ordinary negligence.	ood the sted
(iii) किसी भी मानचित्र की आंशिक या पूरी प्रति फोटोग्राफी या ग्रन्य साधनों से पुनर्उत्पादित नहीं की जायेगी। वरन् जबकि	यह
सरकारी काम काल के लिये धावध्यक हो और इसकी प्रतिनिप्याधिकार की धाझा महा सर्वेक्षक भारत से !	गप्त
करली हो !	- 4-
No sheet will be reproduced in part, or in whole, either by photography or by any other means except when it is necessary to so for official purposes and the requisite permission in accordance with the Copyright Act has been obtained from the Surveyor General of India.	
(iv) जो प्रतिबन्धित मानचित्र मुक्ते दिये गये हैं मैं उनका ठीक लेखा-जोखा और उनकी सार्पायक वस्तुगत पढ़ताल करू	ंगा,
में एक वार्षिकी प्रसारा-पत्र, भारतीय सर्वेक्षरा विभाग """ (निर्शय का स्थान)/मुख्य स	चिव
(राज्य का नाम/संघ क्षेत्र) सरकार को 31 विसम्बर को प्रतिवर्ष भेजूंगा जो कि प्रतिवर्ष	न्धत
मानचित्र मुके दियं गये हैं उनकी बस्तुगत पड़ताल करली गई है इनके बारे में जो क्षति हो उनके अनुदेश मद (vi) म
शीचे दिये गये हैं। I will maintain a proper record of all the restricted maps issued to me and undertake to periodically check these physically, I	will
furnish an annual certificate to the Survey of India	ment maps item
(v) मैंने मानिषत्र निर्गम की गई तारीख से लगभग " महिने/वर्ष/स्थायी के लिये मांगे हैं भीर काम पूरा होने	पर
यस्य सचिव ****** (राज्य का नाभ/संघ क्षेत्र) सरकार/भारतीय सर्वेक्षरा विभाग *****	
(निर्गम का स्थान) यदि कभी किसी काम के लिये चाहें तो मैं उसी समय मानचित्र/चित्रों को निर्देशक, खुफिया से	निक
या जनके प्रांतिनिधि को बापिस कर दूंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि *मुख्य सचिव * * (राज्य का	गम/
संघ क्षेत्र) सरकार / भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जो मानचित्र बेकार या फट गये हैं उनको नष्ट करने के जिये वापिस	कर
हूँगा। मैं इन्हें वापिस करने पर मानिविशों की कीमल की मांग नहीं करुंगा।	done
I require the sheet/s for about	ector ent of
(प्रां) सामाजिकों के स्वी खाने पर मैं शीघा ही इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली भीर उच्च विभागीय प्रधिकारी	
(नाम) ‡ प्रंत्रालय/मुख्य सचिव (राज्य का नाम/संघ क्षेत्र) सरकार/नजदीक की पुलिस की च श्रीर मुख्य सचिव § (राज्य का नाम/संघ क्षेत्र) सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जांच प के लिये और इसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को करूं था। मैं यह भी समक्षता है कि प्रतिवन्धित मानचित्रों की क्षति राज	ोकी इताल
कालय आर इसका रिपाट रक्षा निर्मास निर्मा कौर उपरोक्त मानचित्रों के को जाने के विषय में भात हो जाने में कानूनी रूप से इसकी शीम सूचना देने को बाध्य हूँ। मैं यह भी समकता है कि क्षति की रिपोर्ट देने में असफल हो अधिनियम 202 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत् मुक्त पर अभियोग लगाया जाये।	पर
्र २२,०६, ३,६३ कि कि स्टब्स् सरकार/मण श्रेष तहा पाधिकार है।	Marie Company

याजियों के निर्मय के लिये अधिकारी राज्य सरकार/संघ क्षेत्र द्वारा प्राधिकार है!
 For maps. the issue of which is authorised by officers of the State Govt, Union Terricory.

^{ां} मानचित्रों के निर्गम के लिये ध्रिषकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकार है। For maps, the Issue of which is authorised by officers of the Central Government.

रे केम्द्रिय सरकार व उसके अधीनत्य कार्यालयों के मामले में।

[§] राज्य सरकार ए एउटे अर्थातस्य कार्यालयों के मामले में।

व्यक्तित पांककतांची के मामले में।

7. "प्रतिबंधित" मानचित्रों की सुरचित अभिरचा का वर्गर्षक प्रमाण-पत्र ANNUAL CERTIFICATE OF SAFE CUSTODY OF "RESTRICTED" MAPS (प्रतिवर्ष 31 दिस्प्या को प्रश्तत किया जाना चाहिए) (To be submitted by 31st December every year)

मानचित्र निर्गम कार्यालय	र्याजक संख्या और तारीख	मानचित्रों का व्योरा	प्रतियों की संख्या	कैप्स्थित
Map lesue Offics	Invoice No. & Date	Details of maps	No. c/ soples	Remarks

प्रभाखित किया जाता है कि ऊपर विश्वत "प्रतिवंधित" भानवित्रों की जांच की गई और वे सुरक्षित अभिरक्षा में हैं। मैं यह निश्चित कर रहा हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए सामभानी बरती जाए।

Certified that the "Rostricted" maps detailed above have been checked and are in sale custody. Proper precautions for their security are being ensured by me

स्थान Place

तारीख Date

मानचित्र रखने वाल अधिकारी के इस्ताखर Signature of the Officer retaining maps.

8. "प्रतिबंधित" से उद्य कोटि के मानचित्रों की सभी मार्गे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी चाहिए। All demands for maps of categories higher, than "Restricted" should be referred to the Ministry of Defence, Government of India

मानचित्र निर्गम कार्यालय MAP SUPPLY OFFICES

- 9. मांग पत्र निम्नलिखित को सम्बोबित करें :ndents should be addressed as follows :-
- प्रभारी अधिकारी, मानचित्र अस्तिख एवं निर्गम कार्यालय, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हाथीबड़कला एस्टेट, न्यू कैन्ट रोड, देहरादुन-248001 (भानचित्रों के मुख्य पूर्तिकार)। Officer-in-Charge, Map Record and Issue Office, Map Publication Directorate, Survey of India, Hathibarkala Estate, New Cantt. Road, Dehra Dun-248001 (Main Supplier of Maps).
- प्रमारी, मानचित्र विक्री कार्यालय, दक्षिणी सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 81 रिचमण्ड रोड, बेंगलूर-560025. In-Charge, Map Sales Office, Southern Circle, Survey of India, 81 Richmond Road, Bangalore-560025.
- निदेणक, पूर्वी सिकल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 13, वुड स्ट्रीट, कलिकाता-700016. Director, Eastern Circle, Survey of India, 13, Wood Street, Calcutta-700016.
- प्रभारी, मानचित्र विक्री कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विमाग, बी ब्लाक, हुडा कॉमप्लेक्स तारनाका, हैदराबाद-500027. (日) In-Charge, Map Sales Office, Survey of India, 'B' Block, Huda Complex Tarnaka, Hyderabad-500027,
- प्रभारी, मानचित्र बिक्री कार्यालय, मार्फत सं. 76 (फोटो) पार्टी (दक्षिण पूर्वी सर्किल),भारतीय सर्वेक्षण विमाग, लूइस रोड, मुबनेश्वर-751014. In-Charge, Map Sales Office, C/o No. 76 (P) Party (S.E.C.) Survey of India, Lews Road, Bhubaneshwar-751014.
- प्रभारी अधिकारी, सं. 21 पार्टी (द. स.), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सं. टी. सी./3/506, वल्लक कडवू, तिरुवनंतपुरम-695008-(軽) Officer-in-Charge, No. 21 Party (S.C.), Survey of India, No. TC/3/506, Vallak Kadavu, Trivandrum-695008,
- प्रभारी अधिकारी, सं. 94 (वै मा.) पार्टी, 'ए' ब्लाक, दूसरी मंजिल, पृष्पा भवन, मदनगिरी रोड, नई दिल्ली-110062. (ज) Officer-in-Charge, No. 94 (A.M.) Party, 'A' Block, 2nd Floor, Pushpa Bhawan, Madangiri Road, New Delhi-110062.

10. हीं नक संगठन और यूनिटों को " बतिबंधित " के अन्तर्गत वर्गीकृत मानचित्रों सहित सभी मानचित्रों के धांग-पत्र बस्तृत करने में पूर्व आहें ० ए० ओ० 128/67 और ऐसे हो प्रकाशित कमिक सेना-आदेशों और अनुदेशों को देशना चाहिए। "Military formations and units should refer to I.A.O. 128/67 and to such subsequent Army Orders or Instructions, as may be published, before submitting indents for all maps including those classified as "Mastricted".

यान चित्र मदने की शैंलियां STYLES OF MAP MOUNTING

11. तरीका 1. कपहे पर मदना।

Style No. 1. Mounting on cloth. तरीका 2. कपडे पर मदना और मुख्यां (विना काटे) कड़ी किलार करें तरना (लिम्प करर)।

Style No. 2 Mounting on cloth and folding (without dissections), with stiffeners (Ilmp covers).

तरीका 3. क्याने पर महला और मुक्तां (धाट कर) कही कितारावन्दी गरला (लिम्प क्रवर)। Style No. 3. Mounting on cloth and folding (with dissections) with stiffeners (limp covers).

4. कपड़े पर मदना, लकड़ी की ढंडियों को दीवार पर लटकाने के लिए वार्निश किए दुए मानिवर्षों के समाम लगाना। तरीका

Style No. 4. Mounting on cloth and fitting on rollers as wall map, varnished.

तरीका 5. कपड़े पर मदना और लकड़ी के डयडों को दीवार पर लटकाने के लिए बिना वार्निश किए हुए मानचित्रों के समान लगाना।

Mounting on cloth and fisting on rollers as wall map, unvarnished. Style No. 5.

तरीका 6. विना मदा हुआ और मोझ हुआ जैसा शैली (2) में है । Style No. 6. Unmounted and folded as in (2).

नोट :-- मानचित्र अकेले भी मड़े जा सकते हैं और बहुत सारे मानचित्र एक साथ ओड़ कर उपरोक्त तरीयों से भी मढ़े जा सकते हैं। Note:--- Maps can be mounted either singly or several sheets can be joined together and mounted in any of the above styles

मदाई का व्यय CHARGES FOR MOUNTING

12. मानचित्रों की मदाई का व्यव समय-समय पर बाजार में वस्तुओं के मूल्य की घट बढ़ के अनुसार बतलगा रहता है। ऐसे व्ययों का असुमान आवंदम करके प्राप्त किया जा सकता है The charges for map mounting very from time to time assording to market fluctuations in the value of materials. Estimates of such charges can be had on request.

REG. No. 6130.103 D'85 (Form)-75,000 - 2000 99.

Police State	(Name)/Chief Secretary to the Govern	fence, New Delhi and also to the Head of the Department/Ministry; ment of §
and the Su tricted ma the offenc report abo	irvey of India for investigation and report to the propertion of the control of the control of the immediately upon receiving knowledge about the loss would render me liable for prosecutions.	he Ministry of Defence. I have understood that the loss of the Res- il Sceret. Act and that I am legally bound to give information about t the loss of the said maps. I have also understood that failure to tion under Section 202 of the Indian Penal Code.
कि विस अमुदेश है	मंत्रालय के अधिनियम 118-सी०यू०एस०	मत्रालय की पूर्व अनुमति के विदेशों को निर्यात नहीं करूंगा जैसा /एफ०-संख्या 215/62 सी०यू०एस०-1/VIII दिनांक 4-5-63 में
lalso under instruction	take not to export map/s abroad without the pons in Govt. of India, Ministry of Finance Notif	rior approval of the Ministry of Defence and in accordance with the cation No. 118-CUS-F No. 215-62-CUS-1/VIII dated 4-5-63.
मामचित्र का शीर्षक औ र शीट	सं o Title of map and Sheet No	प्रतियों की संख्या No. of Copies
स्थान Place		हस्ताक्षर Signature
तारीस Date		पता Address
	प्रमाख-पत्र ' ब' CERT	TEICATE 'B'
(To be complete	ted by Educational/Scientific Institutions and o	अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा पूर्णे होना चाहिये) other semi-Government Organisations in addition)
	·····(नाम बढ़े अक्षरों में) यह भी 8–67 में है] स्वीकार करता हूँ और प्रमाणित	शर्ते जो [रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०− 7 (7) /64/डी० । करता हूं कि:
No. 5-7(7)/64/D (GS III) 25-8	(Name in block letters) also	agree to the following conditions [vide Ministry of Defence letter
(i) मानचित्र (s	मयोजन बतायें)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(।।) सानचित्र गोप	s required for (state purpose) पनीय समके जायेंगे और क्षति से रोकने के लिंगे Il be treated as confidential and will take every	इंट एक सावधानी रखनी होगी।
(।।।) मानचित्र संस	eथा या शंगठन के उच्च पदाधिकारी के दायित्व	में सुरक्षा में रखे जायेंगे और समय समय पर उनकी प्रत्यक्ष जांचकी
जायेगी।		न्ती क्वारिक कार्रिक स्था होते का प्राप्ति वहीं दिये गये ।
		कसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा देखे या प्रयोग नहीं किये गये। the Head of the Institution or Organisation concerned in sale custody
and physi This officer w	ically checked from time to time. vill also ensure that the maps are not seen or ha	ndled by unauthorised persons.
विद्यालय	/महाविधालय/विद्यालय संगठन का अधिकारी	हे निरीक्षण में (साबारणतया भारतीय राष्ट्रीय या एक संस्था/विद्व- हो) जो कि इस बात का उत्तरदायी होगा कि ये मानचित्र उचित वश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय संगठन को वापिस कर दिया जाये।
Maps, when of the In and for I	required by excursion parties, are given in chastitute/University/Coilege/School Organisation handing them back to the institute/University/Coilege/School	arge of the leader (normally to be an Indian national and an Officer on) who will be responsible for the correct handling of the maps ty/College/School Organisation, when no longer required for the
purpose.	वद्यालय/महाधिद्यालय/विद्यालय/संगठन के प्र	धिकारी हर समय मानिवनों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे
और व सुरि The authorit	विकास करेंगे कि जो सियम बने हैं उनका पाल	ान हो रहा हो। Organisation will be responsible at all times for the safety of the maps
market Diago		हस्ताक्षर Signature
Place		
विशापः Date		वता Address
नोट:-मानचित्र निर्ग	म का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षरा विभाग सुर	क्षा के वाधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और प्रयोग होने के बाद
इनके वापिस	मगाने व नष्ट करने के लिये उत्तरदायी है जिन	को कि देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत किया है। जहां पर
च अपिकारिय	व" मार्वाच्य वापिस सांगते व नष्ट करने का	ार के उश्च विभागीय अधिकारी का हो वहां वार्षिक प्रमाण-पत्र मांगने दायित्व मुख्य सचिव राज्य/संघ क्षेत्र को सौंपा गया है।
Note:—The Survey of truction of recountersighte	India map issue offices are responsible for obte estricted maps after use, for all issues author	aining the annual certificate of safe custody and for recall and des- rised by the Central Government. In cases where the competent nment or the Head of the State Government Department, the res- and destruction of restricted maps has been entrusted to the Chief

In the case of Central Government Offices and Undertakings.
In the case of State Government Offices and Undertakings.
In the case of private indentors.